न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–334/2026

गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार...आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–460/2026

चंदन कुमार...आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

जंदाहा थाना कांड सं0–548/2025

अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

21.05.2026 जंदाहा थाना कांड संख्या–548/2025, अंतर्गत धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता में अभिरक्षाधीन नियमित जमानत आवेदक सं0–334/2026 के आवेदक **गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार** उम्र–29 वर्ष **पेसर–संजय कुमार भानु उर्फ संजय कुमार** साकिन–अगरवा लाल टोला, थाना–नगर, पूर्वी चंपारण, जिला–मोतिहारी (पूर्वी चंपारण), जो दिनांक–06.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं नियमित जमानत आवेदक सं0–460/2026 के आवेदक **चंदन कुमार** उम्र–22 वर्ष **पेसर–मोहन सिंह** साकिन–बरौना, थाना–भगवानपुर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–21.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदनों पत्र पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री राजेन्द्र बैठा व श्री देवेन्द्र ठाकुर** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदनों की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, सूचक ट्रक चालक है और ट्रक निबंधन सं0–बी0आर0 01 जी0एन0 7004 का मालिक कृष्ण कुमार चंदना है। सूचक ट्रक को रात्रि में 01.30 बजे पटना ट्रान्सपोर्ट नगर से अजंता कैरियर को का समान लोड कर समस्तीपुर के लिए चला। ट्रक में सूचक के साथ उसका खलासी राहुल कुमार पटना से चला। रास्ते में हाजीपुर में पासवान चौक के पास चाय पीये। उसके बाद जंदाहा रोड से समस्तीपुर के लिए चले। तभी जंदाहा रोड में अंधराबड़ चौक से करीब दो किलोमीटर आगे चकफतेह ग्राम के पास हनुमान मंदिर से 1.00 मीटर पीछे एक चार चक्का गाड़ी ट्रक के आगे आकर रोक दिया। बीच में उसके बाद एक मोटरसाईकिल से दो व्यक्ति आये। चार चक्का गाड़ी में चार व्यक्ति सवार थे। सवार व्यक्ति सूचक को ट्रक से नीचे उतार दिया और उसके मुंह को ढ़क एवं बांध दिया। उसक बाद उसे चार चक्का गाड़ी में बांध दिया। फकुली चौक के पास में ट्रक पुलिस की गाड़ी देखकर रोक दिया जिसके बाद ट्रक में बैठे चार व्यक्ति एवं उसका खलासी ट्रक से कूद कर भाग गये। जैसे ही पुलिस गाड़ी में जिसे चार चक्का उजला रंग का महिन्द्रा क्वॉन्टो सी2 निबंधन सं0–बी0आर0 05 बी0बी0 0319 के

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–334/2026

गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार..आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–460/2026

चंदन कुमार..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

Web copy not official

21.05.2026 तरफ आ रहा था तो चारों अपराधी गाड़ी से उतर कर भागने लगे जिसके बाद फकुली थाना के द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम गौरव शर्मा है। इनलोग के पास से दो आर्म्स भी बरामद हुआ।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार दिनांक–06.02.2026 से एवं आवेदक चंदन कुमार दिनांक–21.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार विरूद्व मोतिहारी नगर थाना कांड सं0–209/2025 अंतर्गत धारा–318(4), 316(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, मोतिहारी नगर थाना कांड सं0–05/2026 अंतर्गत धारा–318(4), 316(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं फकुली थाना कांड सं0–97/2025 अंतर्गत धारा–317(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं आवेदक चंदन कुमार के विरूद्व सराय थाना कांड सं0–72/2024 अंतर्गत धारा–392 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–27 आर्म्स एक्ट लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक चंदन कुमार का नाम गौरव शर्मा (आवेदक) के संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और आवेदकगण के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–310(2) का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के नियमित जमानत आवेदन पत्रों का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदनों, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार दिनांक–06.02.2026 से एवं आवेदक चंदन कुमार दिनांक–21.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसके द्वारा ग्राम चकफतेह के पास से ट्रक निबंधन सं0–बी0आर0 01 जी0एन0 7004 को लूटा गया था जिसे फकुली थाना मुजफ्फरपुर द्वारा पकड़ा एवं गिरफ्तार किया गया है। आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार के संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदक चंदन कुमार का नाम आया है जिसमें उसने उक्त कांड में अपनी तथा आवेदक की संलिप्तता के तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि उसने दिनांक–22.12.2025 को अपने साथी निशांत कुमार, विकास कुमार, विवेक कुमार, प्रियांशु कुमार, रमेश उर्फ भिखरम सिंह एवं चंदन कुमार के साथ मिलकर एक योजना बनाया कि अजंता ट्रांसपोर्ट पटना

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–334/2026

गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार..आवेदक

नियमित जमानत आवेदन सं0–460/2026

चंदन कुमार..आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार

21.05.2026 से दवा लोड ट्रक को लूट–पाट दवा को पटना एवं मोतिहारी में खपा देगें और उससे मिले रूपया को आपस में बॉट लेगें। आगे इस तथ्य को स्वीकार किये है कि वे लोग हथियार का भय दिखाकर ट्रक चालकर को अपने गाड़ी में मुंह बांधकर बैठा लिया और ट्रक के अंदर अन्य व्यक्ति जो शायद खलासी था, को ट्रक में ही हथियार का भय दिखाकर रखे रहे और ट्रक लूट–पाट किये जो कांड दैनिकी की कंडिका 05 में अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका 04 से विदित होता है कि आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार के कमर में खोसा हुआ देशी पिस्टल जिसे अनलोड करने पर एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 15 एवं 16 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 36 में आवेदक चंदन कुमार का संस्वीकारोक्त बयान अंकित है जिसमें भी उसने उक्त कांड में अपनी तथा आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार एवं अन्य की संलिप्तता स्वीकार किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 71 से विदित होता है कि अन्य अभियुक्तों के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए आवेदकगण के विरूद्व धारा–310(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक गौरव शर्मा उर्फ गौरव कुमार का तीन आपराधिक इतिहास है। कांड दैनिकी की कंडिका 38 एवं जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक चंदन कुमार के विरूद्व सराय थाना कांड सं0–72/2024 लंबित है जो लूट एवं आर्म्स एक्ट से संबंधित है। आवेदकगण राजमार्ग लुटेरा या अंतरराज्यीय लुटेरा गिरोह के सदस्य है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता एवं आवेदकगण के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदकगण को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदकगण का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not official